न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण संख्या : 185/2015

1. चतरा पुत्र भोल्या उर्फ भोलू
2. भागचंद पुत्र रूघनाथ
3. बसन्त पुत्र रूघनाथ

} जाति कलाल निवासी मांगरोल जिला बारां

.......वादीगण

♠ बनाम ♠

1. छीताबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि बिरधीलाल जाति कलाल निवासी गेंता रोड इटावा तहसील पीपल्दा कलां जिला कोटा
2. चमेंलीबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि केसरीलाल जाति कलाल निवासी बडाखेडा लाखेरी तह0 लाखेरी जिला बून्दी
3. बजरंगलाल पुत्र शंकरलाल जाति कलाल निवासी गरमपुरा लाखेरी तहसील लाखेरी जिला बून्दी
4. रामचन्द्री पुत्री शंकरलाल पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति कलाल निवासी अयाना तहसील पीपल्दा कलां जिला कोटा
5. रूपाबाई पुत्री शंकरलाल पत्नि जगन्नाथ जाति कलाल निवासी इटावा तहसील पीपल्दाकलां जिला कोटा
6. मिन्टू पुत्र बृजमोहन
7. जयन्त पुत्र बृजमोहन
8. सुशीला बेवा बृजमोहन

} जाति कलाल निवासी कापरेन तह0 केशोरायपाटन जिला बून्दी

9. पारीबाई पुत्री माधोलाल पत्नि कन्हैयालाल जाति कलाल निवासी कापरेन तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी
10. प्रेमबाई पत्नि दानमल जाति कलाल निवासी धक्का कॉलोनी लाखेरी तहसील लाखेरी जिला बून्दी
11. हरिप्रसाद पुत्र भैरूलाल जाति कलाल निवासी रेल्वे स्टेशन के पास डडवाडा कोटा
12. गुड्डीबाई पुत्री भैरूलाल पत्नि चौथमल जाति कलाल निवासी खेडली फाटक कोटा तह0 लाडपुरा जिला कोटा
13. गीताबाई पुत्री भैरूलाल जाति कलाल निवासी वार्ड नं0 18 मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

14. जगदीश पुत्र किशनलाल जाति कलाल निवासी गायत्री मंदिर के सामने डी0सी0एम कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

15. श्याम सुन्दर पुत्र लक्ष्मीचंद जाति कलाल निवासी करावर जिला झालावाड

16. द्वारकाबाई बेवा लक्ष्मीचंद जाति कलाल निवासी करावर जिला झालावाड

17. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री मनोज कुमार गालव

निर्णय दिनांक : 08.01.2018

दायरा दिनांक: 19.10.2015

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण स्व0 भोल्या उर्फ भोलू के वारिसान है तथा वादीगण के हक अधिकार की विरासतन आराजी ग्राम मांगरोल तह0 मांगरोल में स्थित है जिसके एक मात्र वादी कम 1 व स्व0 रूघनाथ के वारिसान मालिक व स्वामी है। वादीगण की आराजी हाल खाता संख्या 361 खसरा नं0 365 रकबा 1.44 है0, खसरा नं0 2873 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.46 है0 वाके माल मांगरोल में स्थित है। हाल आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज भोल्या उर्फ भोलू पुत्र देवा की पैतृक व पुस्तेनी थी तथा जिसके प्रथम सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा नं0 194 रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं0 3287/2477 रकबा 2 बिस्वा थे। जो जमाबंदी सम्वत 1982 से 1989 तक स्व. भोल्या के खाते दर्ज हो रही है तथा जमाबंदी सम्वत 1998 से 2005 जगन्नाथ, शंकर, भैरू, माधो, किशना रघुनाथ व चतरा के खाते दर्ज हो रही है इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजी में भोल्या जी के वारिसान थे और प्रत्येक का हिस्सा 1/7 था। भोलू जी के वारिसान जगन्नाथ, शंकर, भेरू, माधो किशनलाल ने दिनांक 14.05.1943 को इन्तकला नं0 3231 से 400 रू0 रहन व 300 रू0 नगद व पुराने कब्जे व बेल खरीदने वास्ते कुल 700 रू0 लेकर अपना 5/7 हिस्सा 24 बीघा 19 बिस्वा आराजी शंकरलाल पुत्र हरकचंद महाजन निवासी मांगरोल को बेचान कर खाते बंधा दी तथा रघुनाथ व चतरा का खाता बदस्तूर रहा था, जिसका इन्द्राज इन्ताकल नं0 3231 में दर्ज हो रहा है व जमाबंदी सम्वत 1998 से 2001 में दर्ज है इस प्रकार 24 बीघा 19 बिस्वा आराजी खसरा नं0 194 शंकरलाल महाजन के खाते दर्ज कर दी व शेष 10 बीघा 2 बिस्वा आराजी रूघनाथ व चतरा के हिस्से की शेष रही थी जो कि रूघनाथ व चतरा के खाते दर्ज की जानी चाहिऐ थी। प्रथम सेटलमेंट सम्वत 2014 से 2023 में सेटलमेंट कर्मचारियों ने सहवन से त्रुटिवश शेष आराजी 10 बीघा 2 बिस्वा आराजी भोल्याजी के सभी वारिसान जगन्नाथ, शंकरलाल, भैरूलाल,

... के मुताबिक गलत इन्द्राज की गयी है क्योंकि रूघनाथ जी जगन्नाथ, शंकरलाल, भैरू, किशना, के भा... चतरा पुत्र भोल्या के स्थान पर सहवन से मथुरा पुत्र शोला दर्ज कर दी गयी जो आज तक हा... जमाबंदी में बदस्तूर दर्ज चली आ रही है। जबकि सत्यता तो यह है कि हाल आराजी खसरा नं0 36... रकबा 1.44 है0, खसरा नं0 2873 रकबा 0.02 है0 वाके माल मांगरोल साबिक खसरा नं0 231/755 रकबा 10 बीघा मात्र चतरा पुत्र भोल्या व मृतक रूघनाथ के हक अधिकार की होने से मात्र उन्ही के खाते दर्ज की जानी चाहिए थी तथा वादी कम 1 व स्व रूघनाथ जी के वारिसान ही उपरोक्त वर्णित आराजी पर लगातार काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा अपने खाते दर्ज कराने की घोषणा कराने के अधिकारी है तथा राजस्व रेकार्ड में गलत दर्ज नाम चतरा पुत्र भोल्या उर्फ भोलू दर्ज कराने के अधिकारी व नालिसी है। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि हाल आराजी वाके मांगरोल खाता संख्या 361 खसरा नं0 365 रकबा 1.44 है0, खसरा नं0 2873 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 रकबा 1.46 है0 का खातेदार चतरा पुत्र भोल्या उर्फ भोलू हिस्सा 1/2 व मृतक रूघनाथ के वारिसान देवकरण, ओमप्रकाश, भागचंद, बसन्त, हेमन्त पुत्रान रूघनाथ हिस्सा 1/2 में दर्ज की जाकर खातेदार घोषित किये जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिपक्षी कम संख्या 1 लगायत 16 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी रजिस्टर्ड ऐ डी भी शामिल पत्रावली है। बावजूद सूचना भी प्रतिपक्षी कम संख्या 1 लगायत 15 अनुपस्थित रहने से दिनांक 06.01.2016 को एक्स पार्टी घोषित कर एक तरफा कार्यवाही शुरू की गयी। इसी प्रकार प्रतिवादी कम संख्या 16 भी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से दिनांक 25.02.2016 को एक्स पार्टी घोषित कर एक तरफा कार्यवाही शुरू की गयी। प्रतिपक्षी पार्टी कम संख्या 17 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल को ब हैसियत लेण्ड होल्डर तलब किया जो बावजूद सम्मन तामील के प्रकरण में राजहित नही होने से अनुपस्थित।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल नकल इन्तकाल कस्बा मांगरोल संख्या 3231 दिनांक 14.05.1943 से पूर्व खातेदार भोल्या के कुल सात लडको में से कमशः जगन्नाथ, शंकर, माधो, भैरूलाल, किशनलाल कुल हिस्सा 5/7 जो तत्समय बालिग थे अपना कुल हिस्सा 5/7 शंकरलाल पुत्र हरकचन्द महाजन को 700 रू0 में रहन चुकाने एवं बैल खरिदने हेतु कुल रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा बैचान किया एवं तत्समय नाबालिग रहे दो छोटे भाई कमशः रूघनाथ व चतरा के हिस्से में शेष रही 10 बीघा भूमि ही वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार खसरा नं0 365 रकबा 1.44 है0, खसरा नं0 2873 रकबा 0.02 है0 कुल 2 किता रकबा 1.46 है0 का खातेदार चतरा पुत्र भोल्या उर्फ भोलू हिस्सा 1/2

मृतक रघुनाथ के वारिसान देवकरण, ओमप्रकाश, भागचन्द, बसन्त, हेमन्त पुत्रान रूघनाथ हिस्सा 1/2 [illegible] साकिन। अतः समस्त रेकार्ड एवं संलग्न दस्तावेजो का अद्योपान्त अवलोकन एवं मनन किया गया। बहस अन्तिम द्वारा वादी वकील सुनी गयी। अतः आदेश दिये जाते है कि ग्राम मांगरोल की जमाबंदी [illegible] में अंकित खातेदार जगन्नाथ, शंकर, भैरू, किशना पि0 रघुनाथ 4/10 हि0ब0 बृजमोहन पुत्र [illegible], मूली बेवा माधो हिस्सा 1/10 हि0ब0 मथुरा पुत्र शोला हिस्सा 1/2 हि0 ब0 जाति कलाल सा0 देह खातेदार का नाम रेकार्ड से हटाकर उनके स्थान पर चतरा पुत्र भोल्या उर्फ भोलू हिस्सा 1/2 व मृतक रूघनाथ के वारिसान देवकरण, ओमप्रकाश, भागचन्द, बसन्त, हेमन्त, पुत्रान रूघनाथ हिस्सा 1/2 जाति कलाल सा0 देह खातेदार के नाम आराजी खसरा नं0 खसरा नं0 365 रकबा 1.44 है0, खसरा नं0 2873 रकबा 0.02 है0 कुल 2 किता रकबा 1.46 है0 में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सनाया गया।

15. श्याम सुन्दर पुत्र लक्ष्मीचंद जा
जिला झालावाड़ (राज0)